भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3781

मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निवेश को बढ़ावा देना

3781. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) व्यापार में छाई मंदी को दूर करने के लिए किए गए सुरक्षात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) रोजगार के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): सरकार ने देश में निवेश को बढ़ावा देने तथा अधिक औद्योगिक कार्यकलापों को शुरू किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने उचित नीतिगत कार्यकलापों के द्वारा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से, देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए एक सक्षम ईकोसिस्टम तैयार किया है।

मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारत

औद्योगिक भूमि बैंक, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), एफडीआई नीति का उदारीकरण, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें, भारतीय फुटवियर और लेदर विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) स्कीमें कुछ प्रमुख पहलें हैं जो देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। उपरोक्त सभी पहलें/स्कीमें, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) संबंधी एक डेस्क स्थापित की गई है जो भारत में निवेश, विस्तार या परिचालन स्थापित करने के इच्छुक ईएफटीए व्यवसायों को संरचित सहायता प्रदान करेगी। यह डेस्क नवीकरणीय ऊर्जा, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग और डिजिटल रुपांतरण में निवेश को बढ़ावा देगी।

भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के भाग के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का विकास कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रीनफील्ड औद्योगिक एरिया/क्षेत्रों/नोड्स का विकास करना है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारत सरकार ने मुख्य अवसंरचना पैकेजों के विकास हेतु अगस्त 2024 में 28,602 करोड़ रुपये (भूमि लागत सहित) की कुल परियोजना लागत वाली 12 नई औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के अनुमोदित संस्थागत और वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार, राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है और भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से आंतरिक मुख्य अवसंरचना घटकों के विकास के लिए इक्विटी प्रदान करती है।

वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मामले में, भारत का कुल निर्यात वर्ष 2024-25 में 824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6.02% की वृद्धि दर्शा रहा है। सबसे अधिक वृद्धि सेवाओं के निर्यात में हुई है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13.6% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ रिकॉर्ड तोड़ 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। उल्लेखनीय है कि, गैर-पेट्रोलियम वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2024-25 में 374.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो अब तक का सबसे अधिक वार्षिक गैर-

पेट्रोलियम निर्यात है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6.0% की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें शुरू की गई हैं। इन स्कीमों में उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने, विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि करने और भविष्य में रोजगार और तेज़ आर्थिक विकास में योगदान देने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने पर किफायत करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा मिला है। मार्च 2025 तक 14 क्षेत्रों में 1.76 लाख करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 16.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वृद्धिशील उत्पादन/बिक्री और 12 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार का सृजन हुआ है। पीएलआई स्कीमों ने भारत के निर्यात को पारंपरिक वस्तुओं से बदलकर उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार के सामान, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद आदि में बदल दिया है। पीएलआई स्कीमों के तहत निर्यात बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों जैसे क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जिसमें इस स्कीम के पहले तीन वर्षों में हासिल 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। इस स्कीम ने भारत को, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान थोक ड्रग्स के निवल आयातक (-1930 करोड़) से अब निवल निर्यातक (2280 करोड़) बनाने में योगदान दिया है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच अंतर में बड़ी कमी भी आई है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण शुरू किया है, जिनमें लीनियर एक्सीलरेटर (लाइनैक), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ, एमआरआई कॉइल आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। इन अत्याधुनिक उपकरणों का पहले आयात किया जाता था और अब भारत में इनका विनिर्माण किया जा रहा है। उद्योग संघ और डीजीसीआईएस के अनुसार, मूल्य के संदर्भ में मोबाइलों का उत्पादन वर्ष 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोनों का निर्यात वर्ष 2020-21 के 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2,00,000 करोड़ रुपए हो गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है। सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति लागू की है, जिसमें कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अन्तर्वाह स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होता है। भारत एफडीआई सीमा बढ़ाकर, विनियामक बाधाओं को दूर करके, अवसंरचना का विकास करके और कारोबारी माहौल में सुधार करके वैश्विक निवेशकों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खुला रखने की व्यवस्था जारी रखे हुए है। इन प्रयासों को प्रक्रियाओं को सरल बनाने, लॉजिस्टिक्स में सुधार करने और भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निरंतर सुधारों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन पहलों का उद्देश्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बी-रेडी मूल्यांकन, जन विश्वास और व्यवसायों तथा नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करना और विनियमन की लागत के मापन सहित व्यवसाय विनियमों को सरल और सुव्यवस्थित करना है। डीपीआईआईटी द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई

बीआरएपी पहल का उद्देश्य मंजूरी और विनियामक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना है ताकि उन्हें अधिक पारदर्शी व कुशल बनाया जा सके। इसका लक्ष्य बाधाओं को न्यूनतम करना और व्यापार करने में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। राज्यों का मूल्यांकन दस्तावेज़ी साक्ष्यों और उपयोगकर्ता के फीडबैक के आधार पर किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुधारों का जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रभाव पड़े। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के द्वारा 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को और बेहतर करने के लिए, डीपीआईआईटी ने जन विश्वास 2.0 पहल के तहत विभिन्न अधिनियमों में विभिन्न आपराधिक प्रावधानों (मुख्य एवं गौण, दोनों प्रकार के अपराधों) का विश्लेषण किया है।

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं, जैसे:-

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): पीएमईजीपी, गैर-कृषि क्षेत्र में नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके घर के पास रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम: यह स्कीम सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के माध्यम से लागू की जा रही है ताकि ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए गए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके।

(iii) रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) स्कीम: ईएलआई स्कीम को एमएसएमई क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में सहायता देने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(iv) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई): भारत सरकार ने उन एमएसएमई इकाईयों में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपये देने के लिए फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की है जिनमें वृद्धि करने और बड़ी इकाइयाँ बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकास के लिए पूंजी प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से कई अन्य प्रमुख स्कीमें चला रही है, जिनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) शामिल हैं। ये सभी योजनाएं एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार को भी बढ़ावा देती हैं।

*****